फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या–डीजी–चार–101(15)/2019(पदोन्नति) दिनॉकः लखनऊःफरवरी 6, 2019

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0 से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु मा0 न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में पुनर्विचार से संबंधित प्रकरणों पर उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा दिनॉक 02–02–2019 को बैठक का आयोजन करते हुये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस)सेवा नियमावली –2015(यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित जोन/इकाई में तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित/समायोजित करते हुये उक्त कर्मियों को नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	पीएनओनं0	नाम	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित जोन/ईकाई का नाम	चयन वर्ष
1	802290685	यश कुमार सिंह	चन्द्र पाल सिंह	31.03.1961	बिजनौर	फिरोजाबाद	ई0ओ0डब्लू0	2017
2	982630064	भुवनेश दत्त तिवारी	प्रभाकर दत्त तिवारी	15.03.1963	इलाहाबाद	अम्बेडकरनगर	ई0ओ0डब्लू0	2017
3	982760291	मोहन राम	फूलचन्द्र राम	04.03.1963	आजमगढ़	सोनभद्र	ई0ओ0डब्लू0	2017
4	002230320	धन प्रकाश	रामेश्वर सिंह	03.08.1966	सहारनपुर	मेरठ	मेरठ जोन	2017
5	012190195	महेन्द्र प्रसाद यादव	रामकुमार यादव	01.09.1973	आजमगढ़	मिर्जापुर	वाराणसी जोन	2017
6	012150146	महेन्द्र पाल	प्रेम पाल	09.11.1973	बरेली	सहारनपुर	मेरठ जोन	2017
7	010900114	राम पाल सिंह	बहादुर सिंह	01.01.1974	फिरोजाबाद	पीलीभीत	बरेली जोन	2017
8	072090129	धीरेन्द्र कुमार चौधरी	राम दुलार चौधरी	19.07.1977	वाराणसी	मऊ	वाराणसी जोन	2017
9	940650323	योगेन्द्र प्रसाद	इन्द्रासन प्रसाद	15.07.1973	कुशीनगर	लखनऊ	लखनऊ जोन	2017
10	052730085	कृष्णा लाल पटेल	राधेश्याम पटेल	20.08.1976	जौनपुर	कानपुर नगर	कानपुर जोन	2017
11	952210104	सुनील कुमार सिंह	किशन सिंह	14.07.1976	मेरठ	पीलीभीत	बरेली जोन	2017
12	052261422	अरूण कुमार	रामफल	15.07.1974	गाजियाबाद	फतेहगढ़	कानपुर जोन	2017
13	072050200	मन्टू राम	गुलजार	13.05.1976	मिर्जापुर	गाजीपुर	वाराणसी जोन	2017
14	910710091	यशपाल सिंह	गंगा सिंह	02.02.1972	मेरठ	सहारनपुर	मेरठ जोन	2017
15	882330938	ओम प्रकाश आर्य	चरन सिंह	13.02.1967	अमरोहा	मेरठ	मेरठ जोन	2017
16	940760284	जितेन्द्र कुमार	विजय पाल सिंह	15.07.1976	नई दिल्ली	सहारनपुर	मेरठ जोन	2017

2– पदोन्नति पाये उपनिरीक्षकगण अपने नवनियुक्ति स्थान पर निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे । उक्त निरीक्षकगण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। पदोन्नति प्राप्त निरीक्षकों का यदि जोन/परिक्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो एवं उनके समायोजन में कोई नीतिगत बाधा हो तो उससे इस मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए।

101 -2018 -.doc

Scanned by CamScanner

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनॉक: 28–5–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी,जहॉ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रतिसहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/ जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रारूप(क)

6/2/19

(डा0राकेश शंकर)
पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक/स्थापना)
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।

3. अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह

4– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।

5– पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर/फिरोजाबाद/अम्बेडकरनगर/सोनभद्र /मेरठ/मिर्जापुर/पीलीभीत/मऊ/लखनऊ/कानपुरनगर/फतेहगढ एवं गाजीपुर।

———

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

101 -2018 -.doc

Scanned by CamScanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं,——————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ)——————————————
पुत्र————————————————निवासी——————————————————————
थाना—————जनपद—————वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)———————
——————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

''मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।''

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ————
(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई—————में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————— को आरोप–पत्र दिया गया है।
(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0————— धारा—————थाना ————— जनपद—————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:—————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी—————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में—————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned by CamScanner